

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित कार्मिक जो व्याख्याता-हिन्दी के रूप में उनके नाम के समुख अंकित विद्यालय/संस्था में कार्यरत हैं, को अधिवार्षिकी की आयु पूरी कर लेने पर नाम के समुख अंकित दिनांक से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है –

क्र.सं.	नाम कार्मिक मय वर्तमान पदस्थापन स्थान (राउमावि)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री श्याम कुमार, बा० धरियावद, प्रतापगढ़	21-12-1958	31-12-2018

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित व्याख्याता के विरुद्ध आज तक –

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-17 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं हैं।

(नित्यमल डिडेल)

आइ.ए.एस

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

दिनांक-२०।१२।२०१८

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-७/१०९०८/सेवानिवृत्ति/हिन्दी/२०१८-१९
प्रतियां सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए निम्नलिखित को अग्रेषित –

1. निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
3. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को वैबसाइट पर अपलोड हेतु
5. संबंधित प्रधानाचार्य, राउमावि
6. संबंधित प्राध्यापक
7. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर